



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना चाँदीनगर

दिनाँक 13-09-2025

ऑपरेशन स्माईल अभियान के अन्तर्गत थाना चाँदीनगर पुलिस ने गुमशुदा 17 वर्षीय बच्चे को अथक प्रयास के बाद अल्प समय 20 घण्टे में सकुशल बरामद कर उसके परिजनों को किया सुपुर्द ।

कार्यवाही-

दिनाँक 11.09.2025 को थाना चाँदीनगर पर सूचना प्राप्त हुई कि 01 बच्चा जिसकी उम्र 17 वर्ष जो दिनांक 11.09.25 को सुबह स्कूल ड्रेस में बिना खाना खाये घर से नाराज होकर देव नागरी



इण्टर कालेज ग्राम खट्टा प्रहलादपुर के लिये साईकिल से निकला था किन्तु स्कूल नहीं पहुँचा और ना ही घर वापस आया। सूचना प्राप्त होने पर थाना चाँदीनगर पुलिस द्वारा तत्काल संज्ञान लेते हुए थाना चाँदीनगर पर टीम गठित कर 17 वर्षीय बच्चे को अथक प्रयास के बाद अल्प समय 20 घण्टे में सकुशल बरामद किया गया तथा उसके परिजनों को सुपुर्द किया गया ।

परिजनों द्वारा बागपत पुलिस का आभार प्रकट करते हुए भूरि-भूरि प्रशंसा की गयी ।

बरामद करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री दिग्विजय सिंह थाना चाँदीनगर जनपद बागपत ।
- 2-है0का0 560 ओंकार सिंह थाना चाँदीनगर जनपद बागपत ।
- 3-का0 445 कपिल कुमार थाना चाँदीनगर जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 13.09.2025

थाना कोतवाली बागपत पुलिस व सर्विलांस सैल बागपत की संयुक्त टीम ने थाने के मु0अ0सं0 531/25 धारा 103(1)/3(5)/61(2) बीएनएस व मु0अ0सं0 539/25 धारा 109/317(2)बीएनएस व 3/25/27 आर्मस एक्ट में वांछित 25-25 हजार रुपये के इनामी हत्यारोपी 02 अभियुक्तों को बाद पुलिस मुठभेड़ (01 अभियुक्त को घायलावस्था में) किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से आलाकत्ल 02 अवैध तमंचा .315 बोर मय 05 जिंदा व 02 खोखा कारतूस .315 बोर बरामद ।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 04.09.2025 को थाना कोतवाली बागपत पर वादी मोनू पुत्र श्री उदयवीर निवासी ग्राम बाघू थाना व जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तों 1. आनन्द पुत्र इन्द्रराज, 2. विनय उर्फ बिच्छू पुत्र श्योराज, 3. अनमोल पुत्र जयपाल निवासीगण ग्राम संतोषपुर थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत द्वारा वादी के भाई अंकुर की मो0सा0 नं0 UP-17E-3555 में अपनी गाडी सैन्ट्रो नं0 DL-3CBP-1738 से टक्कर मार दी तथा उसके भाई अंकुर की गोली



मारकर हत्या कर दी । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 531/25 धारा 103(1)/3(5) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

नोट- दिनांक 07.09.25 को थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा अभियुक्तों 1- करण पुत्र रामजीलाल निवासी ग्राम भगौट थाना चाँदीनगर जनपद बागपत, 2- ताराचन्द पुत्र कन्हैया निवासी ग्राम संतोषपुर थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत व दिनांक 7.9.25 को 3- विनय उर्फ बिच्छू पुत्र श्यौराज 4. मन्नू उर्फ अनुज पुत्र भोपाल निवासी ग्राम संतोषपुर जनपद बागपत को 10.09.2025 को गिरफ्तार कर जेल भेजा चुका है ।

कार्यवाही -

श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस व सर्विलांस सैल बागपत की संयुक्त टीम द्वारा थाने के मु0अ0सं0 531/25 धारा 103(1)/3(5)/61(2) बीएनएस व मु0अ0सं0 539/25 धारा 109/317(2)बीएनएस व 3/25/27 आर्मस एक्ट में वांछित 25-25 हजार रुपये के इनामी हत्यारोपी 02 अभियुक्तों को बाद पुलिस मुठभेड़ (1 अभियुक्त को घायलावस्था में) गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से आलाकत्ल 02 अवैध तमंचा .315 बोर मय 05 जिंदा व 02 खोखा कारतूस .315 बोर बरामद हुए हैं ।

उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

घटनास्थल व समय- दिनांक 12.09.2025 समय 22.27 बजे, मेरठ बागपत रोड बिजली घर के पास ग्राम अहेडा जाने वाले मार्ग पर थाना कोतवाली बागपत ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1-अनमोल पुत्र जयपाल निवासी ग्राम संतोषपुर थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।(घायल)

2-आनन्द पुत्र इन्द्रराज निवासी ग्राम संतोषपुर थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार अभियुक्त आनन्द का आपराधिक इतिहास-

1-मु0अ0सं0 531/25 धारा 103(1)/61(2)/3(5) बीएनएस थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

2- मु0अ0सं0 539/25 धारा 109/317(2)बीएनएस व 3/25/27 आर्मस अधि0 थाना कोतवाली बागपत ।

गिरफ्तार अभियुक्त अनमोल का आपराधिक इतिहास-

1-मु0अ0सं0 531/25 धारा 103(1)/61(2)/3(5) बीएनएस थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 03 जिंदा व 01 खोखा कारतूस .315 बोर(अभियुक्त अनमोल)
- 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 02 जिंदा व 01 खोखा कारतूस .315 बोर (अभियुक्त आनन्द)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-प्रभारी निरीक्षक दीक्षित कुमार त्यागी थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

2-उ0नि0 श्री संजय कुमार प्रभारी सर्विलांस जनपद बागपत ।

3- उ0नि0 श्री सत्यम जंघाला थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

4- उ0नि0 श्री विकास चौहान थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

5- उ0नि0 श्री आलोक कुमार तोमर थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

6- उ0नि0 श्री नकुल राठी थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

- 7-उ0नि0 श्री कैलाशचन्द थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
- 8- है0का0 339 राकेश थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 9- है0का0 435 आलोक कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 10-है0का0 673 हरीश कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
- 11-है0का0 390 गवेन्द्र सिंह सर्विलांस टीम जनपद बागपत ।
- 12-है0का0 120 प्रदीप कुमार सर्विलांस टीम जनपद बागपत ।
- 13-है0का0 468 कुलदीप सर्विलांस टीम जनपद बागपत ।
- 14- है0का0 153 वीरेन्द्र कसाना सर्विलांस टीम जनपद बागपत ।
- 15-का0 631 रक्षित सर्विलांस टीम जनपद बागपत ।
- 16- का0 08 अनुज कुमार सर्विलांस टीम जनपद बागपत ।
- 17-- का0 369 विशाल पवार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
- 18-का0 44 संजीव कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
- 19-का0 467 टींकू अधाना थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।





प्रेस नोट जनपद बागपत दिनांक 13.09.2025

बागपत पुलिस ने 11 वारंटी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत बागपत पुलिस ने 11 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार वारंटी अभियुक्तों का नाम व पता-

1. नदीम पुत्र युसुफ निवासी ग्राम असारा थाना रमाला बागपत
2. गुलजार पुत्र ईशाक निवासी असारा थाना रमाला जनपद बागपत ।
3. जितेन्द्र उर्फ बारू पुत्र ओमप्रकाश उर्फ ओमी निवासी असारा थाना रमाला बागपत ।
4. मौ० युनुस पुत्र मो० उमरदीन निवासी ग्राम असारा थाना रमाला बागपत ।
5. पिन्दू पुत्र वेदपाल निवासी ग्राम बुढपुर थाना रमाला जनपद बागपत ।
6. प्रविन्द उर्फ बबलु पुत्र गरीबदास निवासी ग्राम जिवाना थाना रमाला जनपद बागपत ।
7. जगवीर पुत्र मंगलू कुम्हार निवासी ग्राम व थाना रमाला जनपद बागपत ।
8. रामशरण पुत्र छोटा निवासी ग्राम व थाना रमाला जनपद बागपत ।
9. राजू उर्फ राजवीर पुत्र सोहनवीर निवासी गौसपुर थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
10. कर्मवीर पत्र मांगेराम गर्जर निवासी ग्राम बोढा थाना छपरौली जनपद बागपत ।



11. ऋषिपाल पुत्र कलम सिंह निवासी दाहा थाना दोघट जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-थाना रमाला पुलिस टीम । (08 वारंटी)
- 2-थाना सिंघावली अहीर पुलिस टीम । (01 वारंटी)
- 3-थाना छपरौली पुलिस टीम । (01 वारंटी)
- 4-थाना दोघट पुलिस टीम । (01 वारंटी)





प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बड़ौत

दिनांक 13.09.2025

थाना बड़ौत पुलिस ने चैकिंग के दौरान 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार,
जिनके कब्जे से अवैध निर्मित पटाखे वजन करीब 500 किलोग्राम हुए बरामद

।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान अन्तर्गत थाना बड़ौत पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से अवैध पटाखे की 95 पेट्टी जिनका वजन करीब 500 किलोग्राम बरामद हुई है।



उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बड़ौत पर मु0अ0सं0 596/25 धारा 5/9(बी) विस्फोटक अधिनियम पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1- अमन पुत्र रामनरेश निवासी पट्टी चौधरान कस्बा व थाना बड़ौत जनपद बागपत।
- 2- नदीम पुत्र हलीम निवासी पट्टी वाजिदपुर कस्बा व थाना बड़ौत जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- अवैध निर्मित पटाखे वजन करीब 500 किलोग्राम ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- उ०नि० श्री आदित्य कुमार थाना बड़ौत जनपद बागपत
- 2-है०का० 633 रुस्तम कुमार थाना बड़ौत जनपद बागपत
- 3-का० 647 प्रवीण भाटी थाना बड़ौत जनपद बागपत
- 4-का० 1030 शुभम सारस्वत थाना बड़ौत जनपद बागपत





प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बिनौली

दिनांक 13.09.2025

थाना बिनौली पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 187/25 धारा 91(2)/109(1)/352/324(4)BNS से सम्बन्धित अभियुक्तगण को मा0 न्यायालय से पुलिस अभिरक्षा रिमांड पर लेकर अभियुक्तगण की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त 02 अवैध तमंचे .315 बोर मय 02 जिन्दा व 01 खोखा कारतूस .315 बोर व एक अवैध तमंचा .12 बोर मय 01 खोखा कारतूस .12 बोर किया बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 187/25 धारा

91(2)/109(1)/352/324(4)

BNS से सम्बन्धित

अभियुक्तगण को मा0 न्यायालय से पुलिस अभिरक्षा रिमांड पर लेकर अभियुक्तगण की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त 02 अवैध तमंचे .315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस .315 बोर व एक खोखा कारतूस .315 बोर तथा एक अवैध तमंचा .12 बोर मय 01 खोखा कारतूस .12 बोर बरामद किया गया है ।

उपरोक्त बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बिनौली पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।



पुलिस अभिरक्षा में लिए गए अभियुक्तगण का नाम व पता-

- 1- सागर पुत्र पप्पू उर्फ अशोक निवासी ग्राम जौहडी थाना बिनौली जनपद बागपत ।
2. कन्हैया उर्फ रोहन पुत्र उपेन्द्र निवासी ग्राम जौहडी थाना बिनौली जनपद बागपत ।
3. निखिल पुत्र राजवीर निवासी ग्राम जौहडी थाना बिनौली जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- 1-निशादेही से घटना में प्रयुक्त एक अवैध तमंचा .315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस .315 बोर व एक खोखा कारतूस .315 बोर (अभियुक्त सागर की निशानदेही पर बरामद)
- 2-एक अवैध तमंचा .315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस .315 बोर (अभियुक्त निखिल की निशानदेही पर बरामद)
- 3-एक अवैध तमंचा .12 बोर मय एक खोखा कारतूस .12 बोर (अभियुक्त रोहन उर्फ कन्हैया की निशानदेही पर बरामद)

बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री विकुल कुमार थाना बिनौली जनपद बागपत
- 2-है0का0 525 दीपक भाटी थाना बिनौली जनपद बागपत
- 3-है0का0 588 राधेश्याम थाना बिनौली जनपद बागपत
- 4-का0 240 तरुण कुमार थाना बिनौली जनपद बागपत
- 5-का0 1115 राहुल तिवारी थाना बिनौली जनपद बागपत
- 6-का0 892 तेजवीर सिंह थाना बिनौली जनपद बागपत